न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 04/2020 G.C.M.S. No. 2020/284 दर्ज दिनांक : 18.08.2020

अपीलार्थी

1. बृजराज सिंह पुत्र स्वरूप सिंह, जाति राजपुत, निवासी भेव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र छगन सिंह जाति राजपुत निवासी, जाति राव, निवासी भेव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
2. नारायण सिंह पुत्र केशर सिंह जाति राजपुत निवासी भेव के उत्तराधिकारी एवं वारिसान

2/1 दरिया कंवर बेवा नारायण सिंह, जाति राजपुत निवासी भेव, तहसील शिवगंज

2/2 लक्ष्मण सिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति राजपुत निवासी भेव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही

उम्मेद सिंह पुत्र नारायण सिंह के वारिसान एवं उत्तराधिकारी(जिन्हे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया था)

2/3/1 अरूण कंवर पुत्री उम्मेद सिंह जाति राजपुत आयु अवयस्क

2/3/2 इन्द्र सिह पुत्र उम्मेद सिह जाति राजपुत आयु अवयस्क

अरूण कंवर व इन्द्र सिंह नाबालिग जरिए कुदरती वलीया माता मूमल कुंवर पत्नी उम्मेद सिंह जाति राजपुत आयु वयस्क, निवासी भेव।

2/3/1 मुमल कंवर पत्नी उम्मेद सिंह, जाति राजपुत निवासी भेव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही

2/4 गोविन्द सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपुत निवासी भेव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही

2/5 राधा कंवर पुत्री नारायण सिंह जाति राजपुत निवासी भेव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2012 अनवान गजेन्द्र सिंह बनाम बृजराज सिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2012 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम

पैरोकार:–

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स।
2. श्री नरपत सिंह देवड़ा विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 27.01.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2012 अनवान गजेन्द्र सिंह बनाम बृजराज सिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2012 आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट गजेन्द्र सिंह ने अपीलांट तथा अन्य रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वास्ते कब्जा प्राप्त करने व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था, अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर रेस्पोडेन्ट गजेन्द्र सिंह को वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्रदान करने की डिक्री पारित की गई है। रेस्पोडेन्ट गजेन्द्र सिंह की आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है, दोनो की आराजी के मध्य सेटलमेंन्ट के पूर्व से लोर है तथा उसमें बडे बडे वृक्ष खडे है, किसी भी प्रकार से मौके की स्थिति अनुसार अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट की आराजी पर अतिक्रमण किया जाना साबित नहीं है। मातहत न्यायालय ने मौके की स्थिति को रेकर्ड पर लाने के लिए आदेश किया गया था। पक्षकारान को अपने मामले को अपनी साक्ष्य से साबित करना होता है तथा न्यायालय का कार्य साक्ष्य को संकलित करने का नहीं है। दिनांक 31.05.2005 को आदेश के जरिए नायब तहसीलदार से मौके स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया था जबकि कमीश्नर ने मौके पर गलत नाप जोक कर रेस्पोडेन्ट का पक्ष कर सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वादी की साक्ष्य से अतिक्रमण किया जाना साबित नहीं होते हुए भी केवल मात्र कमीश्नर रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 02 का निर्णय भी अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करने में बडी भूल की है। साक्ष्य का कोई विवेचन नहीं किया है केवल मात्र तनकी संख्या 01 का निर्णय रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित करने से उक्त तनकी का निर्णय किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 03 का निर्णय भी अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करने में भूल की है। दस्तावेज के अलावा अन्य मौखिक साक्ष्य को क्यों नहीं माना जा रहा है, इसका कोई विवेचन नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2012 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

अधिनियम के तहत प्रतिवादी को बेदखल करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2012 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 08.10.2012 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में तामिल होने के बाद प्रार्थी ने इस प्रकरण में पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवड़ा को नियुक्त किया था, उसके बाद प्रार्थी हिम्मतनगर में स्थाई रूप से निवास करने हेतु चला गया था व प्रार्थी पिछले करीब 15 वर्षो से हिम्मतनगर गुजरात में अपने परिवार के साथ निवास करता है गांव भेव में निवास नहीं करता है। प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि सिरोही से समाप्त हो गया है तथा केस शिवगंज न्यायालय को अंतरिम कर दिया गया है तथा शिवगंज न्यायालय से आपके नाम से सम्मन आने पर आप अन्य अधिवक्ता नियुक्त कर सकते है व पैरवी कर सकते है। अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री की कोई सूचना नहीं दी गई। अप्रार्थी द्वारा निर्णय की पालना हेतु इजराय प्रस्तुत करने तथा कोविड 19 के कारण प्रार्थी के गुजरात से अपने गांव भेव आने तथा तहसील कर्मचारियो द्वारा उक्त निर्णय से अवगत करवाकर पालना में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि का कब्जा अप्रार्थी को देने का प्रयास करने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई है। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में अपीलांट प्रतिवादी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किया जाना तथा वाद विचारण के दौरान प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर सिरोही से न्यायालय सहायक कलक्टर शिवगंज में अंतरित होना तथा अपीलांट प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में अपीलांट प्रतिवादी को अवगत कराना अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर विचारण प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 6126/2011 प्रस्तुत की गयी। जिसमें अपीलांट बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार है जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 06.09.2011 द्वारा निगरानी स्वीकार कर प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोस्ट पर अवसर दिया गया। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन व निर्णित प्रकरण की आरम्भ से ही बखूबी जानकारी थी। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

Scanned with OKEN Scanner

2953 दिवस के अत्यन्त दीर्घ विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गयी है। विलम्ब काल अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता के कारण हुआ तथा विलम्ब के लिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कारण युक्तियुक्त, सद्भाविक, विचारयुक्त नहीं है।

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :—

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

Scanned with OKEN Scanner

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law-then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से 2953 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य

राजस्व अपील अधिकारी
भूमी. केम्प-सिरोही

Scanned with OKEN Scanner

नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **2953 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली